मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन – भोपाल.

क्रमांक / 2538 / तकनीकी / 2006 भोपाल, दिनांक / 22 / 11 / 2006.

प्रति,

समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वाणिज्यिक कर विभाग,

मध्यप्रदेश.

विषय :– पट्टे, विक्रय–प्रमाण–पत्र एवं भागीदारी के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क चुकवाये जाने बावत् ।

–––0–––

वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाईयों द्वारा पंजीयन कराते समय भागीदारी विलेख / पट्टे / भाड़ा नोट के दस्तावेज वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है । उपर्युक्त दस्तावेजों पर राज्य में शुल्क की निर्धारित दरें ***"परिशिष्ट–अ"*** पर दर्शायी गई है ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक लोक अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह असम्यक रूप से स्टाम्पित प्रत्येक लिखत को परिबद्ध कर शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को भेजें ।

इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में अपने पत्र क्रमांक 1806 दिनांक 23–8–2006 द्वारा सभी उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों पर सही स्टाम्प शुल्क चुकवाना सुनिश्चित करने तथा दिनांक 1–4–2003 के उपरांत जितने भी भागीदारी विलेख / पट्टे / भाड़ानोट के दस्तावेज विभाग के कार्यालयों में प्रस्तुत हुए है, उनकी सूची संबंधित जिले के जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे , ताकि दस्तावेजों के असम्यक रूप से स्टाम्पित होने की स्थिति में कमी स्टाम्प शुल्क की राशि की वसूली की जा सके ।

आशा है कि आपके द्वारा उक्त सूचियां तैयार कर संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को प्रेषित कर दी गई होगी । अब इनके संबंध में प्रकरण दर्ज करने हेतु संबंधित

निरंतर....**2**

जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को इन दस्तावेजों की प्रतियों की आवश्यकता होगी। कृपया उनके द्वारा संपर्क किये जाने पर इनकी छायाप्रति उन्हें आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के रूप में बकायादारों की संपत्ति नीलाम कर विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किये जाते है, जिन पर वर्तमान में 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, 1 प्रतिशत की दर से नगरपालिका शुल्क, 1 प्रतिशत की दर से जनपद पंचायत शुल्क तथा खाली एवं कृषि भूमि के मामलों में 0.4 प्रतिशत की दर से उपकर देय होता है । अतः सुनिश्चित करें कि भविष्य में जारी होने वाले प्रत्येक विक्रय प्रमाण–पत्र पर उक्तानुसार दर से स्टाम्प शुल्क चुकवाया जाए तथा यदि गत 5 वर्षों में बिना स्टाम्प शुल्क या अपर्याप्त शुल्क चुकाये कोई विक्रय प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, तो उसकी प्रति भी संबंधित जिले के जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को उपलब्ध करायें । कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

संलग्न :–   उपरोक्तानुसार.

हस्ता/–
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक/2529/तकनीकी/2006   भोपाल, दिनांक /22/11/2006

<u>प्रतिलिपि</u> :–

(1) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ ।

(2) महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(3) समस्त जिला पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले के संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से संपर्क कर दस्तावेजों की प्राप्त करें तथा कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

अनुच्छेद –33 :– पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा तथा पट्टे या उप–पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीनीकरण करने के लिये कोई करार है –

(क) जहां कि ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है –	
(1) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है ;	वही शुल्क जो ऐसे बंध पत्र (क्र.12) पर, ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है ।
(2) जहां कि पट्टा ऐसे अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक रकम की रकम के बंध–पत्र (क्र.12) पर लगता है ।
(3) जहां कि पट्टा ऐसे अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के डेढ़ गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(4) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो इस दस वर्ष से अधिक है किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(5) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो इस बीस वर्ष से अधिक है किन्तु तीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(6) जहां कि पट्टा ऐसी कालावधि के लिए तात्पर्यित है जो इस तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक है या निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।

(ख)	जहां कि पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए या दिये जाने वाले अग्रिम के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक नियत नहीं है;	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम रकम या मूल्य के जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है; पर जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक हो या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं किया गया हो, वहां ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(ग)	जहां कि पट्टा किसी नियत किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन के लिये या दिये जाने वाले अग्रिम के लिए मंजूर किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की रकम या मूल्य, जो पट्टे में उपवर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है, और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माना, या प्रीमियम या अग्रिम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होगा; परन्तु जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं हो, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं हो, तो ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है;

नोट :– *राज्य में वर्तमान में हस्तांतरण–पत्र पर स्टाम्प शुल्क की दर 8ः तथा बंध–पत्र पर 4ः है ।*

दिनांक 6–9–2004 से राज्य में भाड़ा नोट के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निम्नानुसार कम की गई है :–

''अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अधीन भाड़ानोट की ऐसी लिखतों जिनके द्वारा मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय भवन आदि तथा/अथवा उनसे संलग्न भूमि किराये पर उठाए जाते है, पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार विर्निदिष्ट किए अनुसार प्रभार्य होगाः–

(प)	जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित हो;	ऐसे पट्टे के अधीन देय य परिदेय संपूर्ण रकम पर 1 प्रतिशत ।
(पप)	जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किंतु तीन वर्ष से अधिक न हो;	आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य का 2 प्रतिशत ।''

44– भागीदारी की लिखत –

(क)	जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये पचास हजार से अधिक नहीं नहीं है;	एक हजार रूपये.
(ख)	जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये पचास हजार से अधिक है;	अधिकतम पांच हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.